फर्द अहकाम

न्यायालय SDO II सांगानेर

कमली जिला बनाम सरकार

मुकदमा संख्या/वर्ष 42/2012 : ________/20

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	12/7/14	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अप्रार्थी सं० 2 व 12 उपस्थित अप्रार्थी सं० 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया वास्ते बहस प्रार्थना पत्र हेतु नियत 19/7/14 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	19/7/14	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी सं० 2 व 12 उपस्थित व बहस प्रार्थना पत्र 111,128 ~~[illegible]~~। सुनी गई प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विरुद्ध [illegible] पृथक से [illegible] जानकर खारिज [illegible] किया गया। पत्रावली नियमानुसार [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:46:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 47/2022
निर्णय दिनांक : 19.07.2024

1. भवानी शिक्षा निकेतन समिति जयपुर क्रमांक /03/जयपुर/190–90 जरिये सचिव श्री प्रकाश चन्द खुल्ले ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जयपुर (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जयपुर
2. रामकिशन पुत्र जगन्नाथ शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जयपुर (राज.)
3. राधेश्याम पुत्र ज्ञाना जाति ब्राहमण निवासी ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. सीताराम पुत्र ज्ञाना जाति ब्राहमण निवासी ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. कन्हैयालाल पुत्र ज्ञाना जाति ब्राहमण निवासी ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
6. धापू बेवा हनुमान जाति ब्राहमण निवासी ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
7. कन्हैयालाल पुत्र श्योजीराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
8. कल्याण पुत्र नाथू जाति ब्राहमण निवासी ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
9. कैलाश पुत्र प्रभू जाति ब्राहमण निवासी ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
10. गोपाल पुत्र नाथू जाति ब्राहमण निवासी ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
11. गोविन्दी पत्नी भौरीलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
12. चन्दालाल पुत्र प्रभू जाति ब्राहमण निवासी ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
13. जगदीश नारायण पुत्र नाथू जाति ब्राहमण निवासी ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
14. नाथूलाल पुत्र भौरीलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
15. पांची देवी पत्नी श्योजीराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
16. मोतीलाल पुत्र नाथू जाति ब्राहमण निवासी ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
17. रामनारायण पुत्र नाथू जाति ब्राहमण निवासी ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
18. रानिवास पुत्र श्योजीराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:46:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

19. रामप्रसाद पुत्र श्योजीराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
20. रामावतार पुत्र श्योजीराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
21. रामस्वरूप पुत्र श्योजीराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
22. सत्यनारायण पुत्र प्रभू जाति ब्राहमण निवासी ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
23. सीताराम पुत्र श्योजीराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
24. हनुमान पुत्र प्रभू जाति ब्राहमण निवासी ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
25. हरिनारायण पुत्र मुं. भूरा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
26. छवि पत्नी बाबूलाल यादव निवासी ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
27. गणेश नारायण पुत्र घासीलाल निवासी ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
28. गोपाल पुत्र दामा निवासी ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
29. जगदीश नारायण पुत्र रामनारायण निवासी ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
30. दिनेश पुत्र रामकुवार निवासी ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
31. नवरतन पुत्र रामनारायण निवासी ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
32. मोहन लाल पुत्र रामनारायण निवासी ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
33. शंकर पुत्र रामनारायण निवासी ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
34. सत्यनारायण पुत्र घासीलाल निवासी ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
35. मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति लि०।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम वास्ते की आराजी भूमि का बाद सीमाज्ञान पत्थरगढी की जाकर तार फैन्सिंग कराये जाने हेतु

निर्णय

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के हक अधिकारी की, खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 404 रकबा 0.1500 हैक्टेयर खसरा नम्बर 805/768 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 407/770 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, कुल किता 3 फुल रकबा 0.1800 हैक्टेयर जो कि ग्राम आशावाला, पटवार हल्का श्रीराम की नांगल, मू अभि नि. वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है. जिस पर प्रार्थी बतौर खातेदार [illegible] उपयोग व उपभोग कर रहे है, जिसमें किसी अन्य की आज दिनांक तक किसी भी प्र[illegible] दखलदाजी नहीं रहीं है। प्रार्थी ने अपनी उक्त खातेदारी आराजी [illegible] जाने हेतु अप्रार्थी सं. 1 के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस[illegible] वसूल की जाकर प्रार्थी की उक्त खातेदारी आराजी का सीमाज्ञान [illegible] 16:03 2022 को सम्बन्धित हल्का पटवारी द्वारा सीमा ज्ञान किया जा चुका [illegible] जिसकी बाद सीमाज्ञान फर्न मौका रिपोर्ट– सीमांडात भी मौके पर बनाई जा चुकी है। जो इस प्रकार से है कि :– आज दिनाक 16.03.2022 को श्रीमान तहसीलदार महोदय सांगानेर के आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:46:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

क्रमांक / मू.अ. / सीमा / 2022 / 3007 / दिनांक 29.06 2022 को पालना में ग्राम आशावाला के खसरा नम्बर 404, 405, 407 / 770 के सीमा ज्ञान हेतु मौके पर पहुंची। मौके पर संस्था सचिव के प्रतिनिधियों के समक्ष आ० खसरा नम्बर 418 किस्म गै० मु0 चाह से जरीब चलाकर उक्त खसरा नम्बरान की सीमा जानकारी करवाई गई। फर्द मौका रिपोर्ट पढकर सुनाई गई। उपस्थितान के हस्ताक्षर करवाये।" सीमा ज्ञान 16.03.2022 की प्रति सलग्न है। प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजी की सुरक्षा व भविष्य में किसी भी प्रकार से सीमा विवाद उत्पन्न किसी भी पडौसी खातेदार के मध्य उत्पन्न नहीं हो इस आशय से प्राथी अपनी उक्त आराजी की सीमाओं के चारो और पत्थरगढी बाद सीनाज्ञान कराया जाकर तार फैन्सींग कराना चाहता है। ताकि भविष्य में सम्भावित रुप से होने वाले किसी भी विवाद को टाला जा सके।

प्रार्थी अपनी उक्त आराजी भूमि के चारो और बाद सीमाज्ञान पत्थरगढी कराया जाकर तार फैन्सीग कराने के आशय से सम्बन्धित पटवारी हल्का को वक्त सीमाज्ञान दिनांक 16.03.2022 को प्रार्थी की उक्त आराजी की सीमाओं पर पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया गया तो सम्बन्धित पटवारी हल्का के द्वारा वक्त सीमा ज्ञान पत्थरगढी बिना न्यायालय के आदेश से किये जाने का पावर पटवारी को नहीं होने का कथन किया गया इसलिए न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जाना लाजिनी आया। प्राथी की भूमि का बाद सीनाज्ञान पत्थरगढी कराई जाकर तार फैन्सींग कराई जायेगी उस समय इस आशय की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है. अप्राथर्थी स 2 पडौसी खातेदार जिसकी खसरा नम्बर 406 व खसरा नम्बर 407 / 789 के द्वारा वक्त सीमा ज्ञान बाधा उत्पन्न करने की पूरी सम्भावना है इसलिए प्रार्थी की उक्त अराजी का सीमाज्ञान, पत्थगढी, तारफैन्सींग इत्यादी मौके पर करते हुए पुलिस इमदाद की सहायता से कराये जाने के आदेश पारित फरमाया जाना आवश्यक है। ताकि वक्त सीमाज्ञान, पत्थगढी, तारफैन्सींग के समय शांति व्यवस्था कायम रह सके और कानुन की स्थिति ठीक रहे किसी भी प्रकार से कानुनी व्यवस्था नहीं बिगडे, इसलिए न्यायहित में व खातेदारों के हित में लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन रहने के सिद्धांत के आधार पर मय पुलिस इमदाद का आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी की उक्त आराजी भूमि का बाद सीमाज्ञान, पत्थगढी, तारफैन्सींग सीमाज्ञान दिनांक 16.03.2022 को किया जा चुका है उसके आधार पर या आवश्यकतानुसार पुनः सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी तारफैन्सोंग किये जाने का आदेश पटवार हल्का श्रीराम की नांगल, भू. अभि. नि. वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान को किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। पत्थरगढी इत्यादी से सम्बन्धित कार्य करने का समय नियमानुसार 1 अप्रैल से 30 जून के मध्य सामान्यतया निपटाये जाने के प्रावधान है, और समय समय पर सरकार द्वारा भी परिपत्र जारी किये हुए है कि सीमा ज्ञान, पत्थरगढी इत्यादी के कार्य तय समय में निपटाये जाने चाहीए तय समय के किये गये आवेदन आदेशानुसार होने वाले सीमा ज्ञान पत्थरगढी इत्यादी के मामले लम्बित नहीं रहने चाहिए इसलिए श्रीमान जी के समक्ष उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र ... उक्त तथ्यो व परिस्थितियों के आधार पर बिना किसी विलम्ब के प्रथम ... द्वितीय पेशी पर ही निस्तारित किया जाना आवश्ययक है ... किसी भी किस्म का विवाद या प्रकरण उक्त आराजी के ... अस्तित्व मे है और ना ही किसी भी प्रकार से किसी भी न्यायालय में कोई विवाद ... है. इसलिए प्रकरण को न्यायहित ने जल्द से जल्द निस्तारित फरमाया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी सं. 1 को इसलिए पक्षकार बनाया गया है कि वो भूमिधारी है और उनके द्वारा उनके

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:46:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

निर्देशानूसार पटवारी हल्का द्वारा सीमाज्ञान, पत्थरगढी इत्यादी का कार्य सम्पन्न कराया जायेगा इस आशय से आवश्यक पक्षकार होने के कारण से पक्षकार बनाया गया है, जिससे अन्य कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। प्रार्थी की उक्त आराजी भूमि जो कि ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित होने के कारण से प्रार्थना पत्र को सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की उक्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 404 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 405/768 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 407/770 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0. 1800 हैक्टेयर जो कि ग्राम आशावाला, पटवार हल्का श्रीराम की नांगल, भू. अभि. नि. वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है, का आवश्यकतानुसार बाद सीमाज्ञान पत्थरगढी की जाकर तार अन्य आदेश जो उक्त वर्णित तथ्यो व परिस्थितियो के आधार पर आवश्यक हो प्रार्थी के पक्ष में पारित फरमाया जावे। फ़ैन्सींग मय पुलिस इमदाद के कराये जाने के आदेश पारित फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 1 उपस्थित। दिनांक 30.05.2024 को अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 38 को नोटिस जारी। दिनांक 13.06.2024 को प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से श्री महेश चन्द योगी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 10.07.2024 को प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 12 उपस्थित, प्रार्थी की ओर से अधविक्ता श्री मनोज चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 11 व 13 से 35 बावजूद तामिल उपस्थित नही, उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी संख्या 12 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।

उपस्थित उभयपक्षकारानकी पत्रावली में बहस सुनी गई। हमने उपस्थित उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों एवं अप्रार्थीगण की ओर से पेश जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित प्रार्थी की कृषि भूमि पर अन्य किसी दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो अपने स्तर पर टीम गठित कर समस्त उभयपक्षकारान को सूचित कर, उभयपक्षकारान की उपस्थिति में दोनों गावों की सीमाओं का निर्धारण करे। दोनों गावों की सीमा निर्धारण होने के पश्चात् प्रार्थी की वाके ग्राम आशावाला, पटवार हल्का श्रीराम की नांगल, भू. अभि. नि. वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित प्रार्थी की उक्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 404 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 405/768 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 407/770 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.1800 हैक्टेयर की तहसीलदार सांगानेर की सीमाज्ञान मौका–फर्द रिपोर्ट दिनांक 16.03.2022 के अनुसार पत्थरगढी कायम करें। फसल नही होने पर ही सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की जावे। आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद की सहायता ली जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:46:47 IST
Reason: SelfAttested

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर